

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010

जयपुर, दिनांक:

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यो पर श्रमिकों के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग: इस विभाग के समसख्यक पत्र दिनांक 10.02.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यस्थल पर 70 श्रमिकों से अधिक के नियोजन नहीं करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे। माह अप्रैल, मई व जून की कार्य अवधि में कार्य की मांग को देखते हुए यह संशोधित किया जाता है कि किसी भी कार्यस्थल पर 120 श्रमिकों से अधिक का नियोजन नहीं किया जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे अधिक श्रमिक नियोजित कार्य स्थलों का पखवाडे में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारी न्यूनतम दो बार ~~करके~~ निरीक्षण आवश्यक रूप से करें।

भवदीय,

13/3/10  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस